(5) योजना का क्रियान्वयन करने में ग्राम सभा प्रथमदृष्ट्या लिखित में नोटिस देकर सिंचाई योग्य समादेश क्षेत्र में भूधृति रखने वाले समस्त व्यक्तियों को विहित रीति में छपवाकर ऐसी समयावधि के भीतर जैसा उसके लिए नोटिस में निश्चित किया जाए, जलसरणी का निर्माण कराने हेतु और तत्सम्बन्धित समस्त ऐसे संकर्मों, जैसा योजना के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक हो, को कार्यान्वित कारित कराने हेतु विकल्प देगी।

(6) जहाँ सम्बन्धित व्यक्ति किसी जलसरणी के सम्पूर्ण या किसी भाग को या तत्सम्बन्धित किसी संकर्म को कार्यान्वित करने में, योजना के अनुसार निर्माण करने में असफल रहते हैं, तो ग्राम सभा, पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 17 के अधीन प्रावधानित रीति में लघु सिंचाई योजना के निष्पादन हेतु उसका निर्माण करेगी या कराएगी या निर्माण कारित करेगी या कारित कराएगी।

30-घ. नहर खण्ड अधिकारी द्वारा कार्य का निरीक्षण—(1) अवधि या विस्तारित अवधि, जैसा मामला हो, जो धारा 30-ख की उपधारा (5) के अधीन नोटिस में विनिर्दिष्ट किया गया है, के अवसान हो जाने के पश्चात्, नहर खण्ड अधिकारी ग्राम सभा द्वारा निर्मित या निर्माण कराई गई जलसरणियों और तत्सम्बन्धित समस्त संकर्मों का या तो सीधे या सिंचाई योग्य समादेश क्षेत्र के भूधृति धारकों के माध्यम से निरीक्षण करेगा या निरीक्षण कारित कराएगा, और यदि वही योजना के अनुसरण में या अन्यथा समुचित रूप से निर्मित है या कराई गई है तो उसका अनुमोदन करेगा।

(2) जहाँ जलसरणियों या तत्सम्बन्धित समस्त संकर्मों को योजना के अनुसरण में सम्यक् रूप से निर्मित या कार्यान्वित किए नहीं गए हैं, तो नहर खण्ड अधिकारी लिखित में आदेश द्वारा सम्बन्धित ग्राम सभा से आदेश में विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर समस्त त्रुटियों को दूर करने या उपचार करने या दूर करना या उपचारित कराना कारित करने की अपेक्षा करेगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन आदेश में अनुज्ञात समयावधि के अवसान पर नहर खण्ड अधिकारी जलसरणियों और तत्सम्बन्धित समस्त संकर्मों का पुन: निरीक्षण करेगा, या निरीक्षण कारित कराएगा, और या तो उसका अनुमोदन करेगा या उसका अनुमोदन नहीं करेगा।

30-ङ. राज्य सरकार द्वारा योजना का क्रियान्वयन—जहाँ ग्राम सभा असफल रहती है—

(i) धारा 30-ग के प्रावधानों के अनुसरण में उसके द्वारा अपेक्षित अवस्था में से किन्हीं या समस्त को उठाने में; या

(ii) धारा 30-ख की उपधारा (5) के अधीन नोटिस में उसके लिए प्रावधानित अवधि या विस्तारित अवधि के भीतर योजना के अनुसरण में सम्पूर्ण जलसरणियों का निर्माण कराने या तत्सम्बन्धित समस्त संकर्मों को कार्यान्वित करने या निर्माण कारित कराने में; या

(iii) धारा 30-घ की उपधारा (2) के अधीन यथा अपेक्षित जलसरणियों या तत्सम्बन्धित किसी संकर्म में त्रुटियों को दूर करने, या कथित धारा की उपधारा (3) के अधीन उनके बारे में नहर खण्ड अधिकारी का अन्तिम अनुमोदन प्राप्त करने में;

राज्य सरकार, ऐसी समस्त अवस्था में, भूमि के अर्जन को सम्मिलित करते हुए, जैसा योजना के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक हो सकेगी, उठाएगी, और योजना के अनुसरण में जलसरणियों और तत्सम्बन्धित समस्त संकर्मों का निर्माण कराने या कार्यान्वित किया जाना कारित कराएगी।

30-ङङ. वृहत सिंचाई योजनाओं के सम्बन्ध में विशेष प्रावधान—(1) गंडक, शारदा सहायक या रामगंगा सिंचाई परियोजना या राज्य सरकार द्वारा शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किसी वृहत् योजना के समादेश से आच्छादित किसी क्षेत्र में सिंचाई खण्ड का नहर खण्ड अधिकारी धारा 30-क में निर्दिष्ट विशिष्टियों को समाविष्ट करते हुए एक योजना तैयार कर सकेगा और तदुपरान्त वह योजना के क्रियान्वयन हेतु जैसा आवश्यक होंगे समस्त कदम उठा सकेगा, और योजना के अनुसरण में जलसरणियों और तत्सम्बन्धित समस्त संकर्मों का निर्माण किया जाना कारित कराएगा, और धारा 30-ख, 30-ग, 30-घ और 30-ङ की कोई बात ऐसी योजना के सम्बन्ध लागू नहीं होगी।